भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2518
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एमजीएनआरईजी योजना के अन्तर्गत आधार आधारित भुगतान प्रणाली

2518. श्री जी. कुमार नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आधार -आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) का अनिवार्य कार्यान्वयन हो जाने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कामगारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एबीपीएस के कारण मजदूरी प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए गए कामगारों की संख्या व प्रतिशत क्या है और एबीपीएस के क्रियान्वयन से अब तक कितने कामगारों का नाम मनरेगा से हटा दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने एबीपीएस प्रणाली के अंतर्गत गलती से हटाए गए कामगारों को पुन: सम्मिलित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार और समय पर मजदूरी की गारंटी देने में मनरेगा की प्रभावशीलता पर इस डिजिटल मैंडेट के प्रभाव का आकलन किया है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों द्वारा बैंक खाता संख्या में बार-बार बदलाव और तत्पश्चात कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अद्यतन न किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। इसे 1 जनवरी 2024

से अनिवार्य कर दिया गया है। एपीबीएस से योजना में मजदूरी वितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सहायता मिलती है। आधार प्रमाणीकरण से चोरी और भ्रष्टाचार कम होता है और यह सुनिश्चित होता है कि केवल सत्यापित पहचान वाले वैध लाभार्थियों को ही वेतन मिले। एपीबीएस के माध्यम से भुगतान में विफलता के मामले में , भुगतान करने का एक वैकल्पिक मार्ग खाता आधारित भुगतान के माध्यम से उपलब्ध है जो कि राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) है। यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एपीबीएस के संबंध में किसी भी तरह की समस्या या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 23-01-2023 से राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप अनिवार्य कर दिया गया है। कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या के मामले में फोटोग्राफ के साथ उपस्थिति को ऑफ़लाइन मोड में कैप्चर किया जा सकता है और एक दिन के भीतर डिवाइस के नेटवर्क क्षेत्रों में आने पर अपलोड किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों के मामले में जिसके कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकती है , जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) को मैन्युअल उपस्थिति अपलोड करने के लिए अधिकृत किया गया है।

मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए समीक्षा बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित करता है। एप्लिकेशन का उपयोग करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पेश आने वाली तकनीकी चुनौतियों का मंत्रालय द्वारा लगातार समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त , मंत्रालय आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एनएमएमएस ऐप के उपयोग के बारे में अद्यतन रहें।

(ख) और (ग): आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) केवल भुगतान का एक माध्यम है और एपीबीएस के कारण काम की मांग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जॉब कार्ड को अद्यतन/निरस्त करना एक नियमित प्रक्रिया है। आधार को बैंक खातों से न जोड़े जाने के कारण जॉब कार्ड को निरस्त नहीं किया जाता है।

वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार) कुल 35.08 लाख जॉब कार्ड निम्नलिखित कारणों से निरस्त किए गए हैं: (i) फर्जी जॉब कार्ड (गलत जॉब कार्ड), (ii) डुप्लीकेट जॉब कार्ड, (iii) काम करने के लिए अनिच्छुक परिवार , (iv) ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित परिवार और (v) जॉब कार्ड में एक ही व्यक्ति है और

उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा , चालू वित्त वर्ष 2024-25 में (06.12.2024 की स्थिति अनुसार) कुल 36.21 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं।

यदि किसी लाभार्थी का नाम नरेगा सॉफ्ट के डेटाबेस से काम करने की अनिच्छा के कारण हटा दिया गया है या वह स्थायी रूप से ग्राम पंचायत से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गया है, लेकिन बाद में काम करने की इच्छा दिखाता है , तो राज्य सरकार को ऐसे श्रमिक के जॉब कार्ड को फिर से शुरू करने का विकल्प दिया गया है। सफलतापूर्वक बहाली के बाद, लाभार्थी योजना के तहत फिर से काम की मांग कर सकता है।

(घ): भुगतान और सत्यापन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और समय पर मजदूरी का वितरण बढ़ाना और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस परिवर्तन के दौरान आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करने के लिए, मंत्रालय स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र श्रमिक योजना और इसके लाभों तक निर्बाध रूप से अपनी पहुँच बना सकें।